तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./10422/2012/चितौडगढ नन्दलाल बनाम लहरू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री बी.एल. गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–

श्री आर.पी. शर्मा अधिवक्ता, प्रार्थीगण

श्री ओ.पी. भट्ट, राजकीय उप अधिवक्ता अप्रार्थी सं0–8

दिनांक 3.12.12

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 सपठित धारा 9 एवं धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार जिला कलक्टर, चितौडगढ ने प्रकरण संख्या 01/2012, 20/2012, 26/2012 तथा 25/2012 का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, चितौडगढ तथा पप्पूलाल व बद्रीलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों को खारिज किया है।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि जिला कलक्टर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम एवं विधिक के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि जिला कलक्टर ने पत्र दिनांक 21–3–2012 द्वारा स्वयं ने यह निर्देश दिये कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 1394 दिनांक 17–9–2008 को निरस्त कराये जाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करवाया जावे तथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। इसके बावजूद दूसरी तरफ स्वयं ने ही रेफरेन्स प्रार्थनापत्र को निरस्त कर कानूनी भूल की है। उनका कथन है कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./10422/2012/चितौडगढ नन्दलाल बनाम लहरू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ग्राम गिलूण्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 में खसरा नम्बर 777 श्रीमती श्यामा बाई, मंजूबाई व बबली बाई के नाम दर्ज है। यह आराजी सेटलमैन्ट से पूर्व बिलानाम सरकारी दर्ज थी, जिसके गत खसरा नम्बर 497/5 थे। सेटलमैन्ट के बाद यह भूमि लेहरू, कैलाश, बदाम, अंकूर, काशीबाई के नाम गैर खातेदारी में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज कर दी गयी, जिसे पुनः सरकारी दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उनका कथन है कि माननीय न्यायालय राजस्व मामलों का सर्वोच्च न्यायालय है एवं माननीय न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोत करते हुए हस्तक्षेप कर जिला कलक्टर के निर्णय को निरस्त कर वादग्रस्त आरजाी को वापस राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश देना न्यायहित में आवश्यक है। धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजी पूर्व में राजकीय भूमि थी, प्रार्थीगण गांव के जागरूक व्यक्ति होने से जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की है। तद्नुसार प्रार्थीगण को मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को विचारार्थ ग्रहण कर जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय की पालना को स्थगित किया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी को रहन बैय मुन्तकिल नहीं करे एवं विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे। योग्य राजकीय उप अधिवक्ता ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत बहस का समर्थन किया। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलक्टर ने निर्णय दिनांक 20–11–2012 को पारित करते हुए यह माना है कि ग्राम गिलूण्ड	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./10422/2012/चितौडगढ नन्दलाल बनाम लहरू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहसील चितौडगढ की आराजी नम्बर 481/11 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 497/5 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 14 बीघा भूमि सम्वत् 2017 में परथा पिता दल्ला गाडी लुहार को आवंटन होकर विधिक प्रावधानों के तहत खातेदारी प्राप्त करने के उपरान्त विक्रय करने एवं आवंटन के सम्बन्ध में पूर्व में प्रस्तुत आवेदन 14(4) का बाद सुनवाई अतिरिक्त कलक्टर, चितौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 2/1981 निर्णय दिनांक 2–2–1983 में आवेदन खारिज किया जा चुका था। जिससे दुबारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन खारिज योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के तहत उपखण्ड न्यायालय चितौडगढ में प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 83/2002 निर्णय दिनांक 24–11–2003 से पक्षकारों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के उपरान्त आवंटन निरस्तीकरण, धारा 136 एवं रेफरेन्स हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पुनः विचारण योग्य नहीं रहते है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी को सैटलमैन्ट से पूर्व राजकीय भूमि अंकित होना दर्ज किया गया है तथा राजकीय भूमि होने से प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी पेश की गई है परन्तु प्रार्थीगण विवादित भूमि को दस्तावेजी साक्ष्य से राजकीय सिद्ध नहीं कर पाये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार विवादित आराजी सम्वत् 2017 में परथा को आवंटित हुई थी। तत्पश्चात् विवादित आराजी बाबत् सक्षम न्यायालय से खातेदारी की डिक्री पारित की गयी थी। अतः विवादित आराजी सरकारी भूमि प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थीगण को निगरानी पेश करने की कोई लोकस स्टेण्डाई भी नहीं है। ऐसी स्थिति में भी प्रार्थीगण की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./10422/2012/चितौडगढ नन्दलाल बनाम लहरू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर प्रकरण की स्थिति के अनुसार यदि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित समझता हो, तो अपनी अनुशंषा के साथ राजस्व मण्डल को रेफरेंस प्रेषित कर सकता है। परन्तु यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझता हो तो प्रकरण उसके स्तर पर ही निस्तारित हो जाता है। ऐसे आदेश के विरूद्व निगरानी अथवा अपील संधारण योग्य नहीं है। जैसा कि 1978–आर.आर.डी–पेज 439 तथा 1990 आर.आर.डी. पेज 253 में प्रतिपादित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

R.R.D 1978 Page 439

Raj. Land Revenue Act, Secs. 82 & 84- Scope- Time barred appeal against order of mutation, treated by Collector on request as application for making reference- Collector refused to make reference- Revision, filed- Maintainability- Collector does not pass an 'order' u/s 82 but merely expresses an 'opinion' and such opinion cannot be appealable nor revisable u/s 84, not being a 'case decided'- Collector does not express opinion for purposes of Sec. 82, much less deciding a case when be declines to make a reference- Revision, held not maintainable.

R.R.D. 1990 Page 253

Raj. Land Revenue Act, Section 82- Decision of Collector whether a reference should or should not be made is not a'case decided' and no appeal and revision against it can be maintained.

इस प्रकार स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, चितौडगढ द्वारा दिनांक 20–11–2012 को प्रकरण में रेफरेन्स पर अनुशंसा न करने का जो निर्णय लिया है, उसकी निगरानी पोषणीय नहीं होने से, हस्तगत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./10422/2012/चितौडगढ नन्दलाल बनाम लहरू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया है कि यदि यह निगरानी मेन्टनेबल नहीं मानी जावे तो धारा 9, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम तथा धारा 221, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया जाकर जिला कलक्टर, चितौडगढ के आलौच्य आदेश तथा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नामान्तरकरण सं0 1394 को निरस्त किया जावे। धारा–9, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्व मण्डल, उन्हें प्रदत अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों अथवा अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, की शक्तियों का प्रयोग, उन आदेशों में अवैधानिकता एवं अनियमितता होने पर ही किया जावे। वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई गम्भीर अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं बताई गई है। साथ ही धारा 9, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में स्पष्ट तौर पर अंकित किया गया है कि "subject to other provisions of this Act", जिसका स्पष्ट अर्थ है कि यदि किसी आदेश के लिए अधिनियम में अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हो तो, धारा 9, के अन्तर्गत ऐसे प्रकरणों को नहीं लिया जायेगा। धारा 221, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सन्दर्भ में तो माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम किस्तूरी व अन्य निर्णय दिनांक 5–8–2008, जो 2009(2) आर.आर.टी पृष्ठ 1094 पर उधृत है, जो निम्नानुसार है, में तो स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार राजस्व मण्डल को प्रदत्त असाधारण शक्तियां किसी न्यायिक आदेश एवं डिक्री में परिवर्तन के लिए काम में नहीं ली जा सकती :– "Rajasthan Tenancy Act,1955- Sec. 221- Scope- Power of Board of Revenue u/Sec. 221 is not akin to the power of the High Court as provided u/Article 22 7 of the Constitution- Board set aside the decree of a competent Court in exercise of powers under sec. 221- Held, Order is not sustainable & quashed."	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./10422/2012/चितौडगढ नन्दलाल बनाम लहरू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उक्त नजीर का पैरा 8 उल्लेखनीय है, जो निम्नानुसार हैः–

" The power of Board of Revenue under Section 221 is not akin to the power of the High Court as provided under Article 227 of the Constitution. In the Scheme of 1955 Act there is a clear demarcation of the judicial and administrative powers of the Board. While Section 230 provides for the judicial power. Section 221 confers only administrative power and in exercise of ministrative power no decree or judicial order could be set aside. The Apex Court in Devi Singh Vs. Board of Revenue Rajasthan(supra) also indicated that in the face of the provisions under Sections 222 to 229 the power of general superintendence under Section 221 could not be exercised."

वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई गम्भीर अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं बताई गई है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में धारा 9, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम तथा धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय की सूचना उभयपक्ष योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर, चितौडगढ को नियमानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल. गुप्ता)
सदस्य